न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थी :–

मालसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत
निवासी भादवा तह. परबतसर

तहसीलदार परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट
मुकदमा नम्बर 65/2022

निर्णय दिनांक :– 24/3/22

उपस्थिति – श्री राघव शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री जगराम मीणा, राजपैरोकार

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री राघव शर्मा ने पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम भादवा में खसरा नम्बर 841, 875/853 कुल रकबा 3.2000 हैक्टेयर आयी हुई हैं जिस पर कब्जा मात्र प्रार्थी का हैं प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 875/853 के पुराना खसरा नम्बर 842 था तथा बंटवारा प्रस्ताव आपसी सहमति से तैयार करवाकर बंटवारा किया गया तथा माफिक बंटवारा राजस्व नक्शा ट्रेस तैयार किया गया इसी अनुसार उक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज हो रखा था तथा उसी अनुसार प्रार्थी अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा माफिक बंटवारा प्रार्थी की कृषि भूमि की सीव उपर उत्तर की तरफ रास्ते तक आधी दूरी में रखी गई तथा पश्चिमी तरफ रास्ता प्रारम्भ से लेकर उत्तरी तरफ रास्ते तक रखा गया लेकिन वर्तमान नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की भूमि को उत्तरी तरफ रास्ते से पूर्व ही तक सीमित कर दिया गया तथा पश्चिमी तरफ वाले रास्ते को भी कम दूरी पर निर्धारित कर दिया गया जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है तथा इसलिये राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी ने पूर्व स्थिति को नक्शा ट्रेस में दुरूस्त करने का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया उक्त प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जमाबन्दियो व नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नम्बर 875/853 का नक्शा ट्रेस में पूर्व में हो रखे इन्द्राज अनुसार पूर्व नक्शा ट्रेस के अनुसार इन्द्राज किया जाना आवश्यक है तथा पूर्व में हो रखे बंटवारा प्रस्ताव मे भी स्पष्ट दर्शित किया हुआ हैं जिस पर सन्देह किया जाना उचित प्रतीत नही होता है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सिद्व होता है जिससे स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम भादवा के खसरा नम्बर 875/853 को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में पूर्व स्थिति के अनुसार उत्तरी तरफ रास्ते तक आधी सीमा को बढाया जावे तथा पश्चिमी तरफ के रास्ते को भी आगे उत्तरी तरफ रास्ते तक बढाया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

24/3/22
(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)